

[दि स्पेशल कोर्ट्स फॉर विमेन बिल, 2018 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ० उदित राज, संसद सदस्य

का

महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2018

महिलाओं के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने और तत्संस्कृत या
उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय अधिनियम, 2018 है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारंभ।

- 5 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

परिभाषाएं।

(क) “समुचित सरकार” से किसी राज्य के मामले में, उस राज्य की सरकार और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ‘अपराध’ से महिलाओं के विरुद्ध किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी रूप में या किसी भी प्रकार से किया गया शारीरिक, मौखिक या किसी अन्य प्रकार का अपराध अभिप्रेत है

जिसके अंतर्गत बलात्कार, आपराधिक हमला, मानसिक क्षति तथा यौन उत्पीड़न अथवा दहेज से संबंधित मामले, जिनमें पीड़ित व्यक्ति कोई महिला है, शामिल है।

(ग) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

महिलाओं के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना।

3. (1) समुचित सरकार महिलाओं पर किए गए अत्याचारों या उनके विरुद्ध किए गए अपराधों से उद्भूत मामलों से अनन्य रूप से निपटने के लिए समुचित संख्या में विशेष न्यायालयों की स्थापना करेगी। 5

(2) समुचित सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश और उतनी संख्या में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी जितनी वह उपयुक्त समझे।

विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु अर्हता।

4. (1) कोई व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह,—

(क) न्यायिक मजिस्ट्रेट न हो अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न रहा हो; अथवा 10

(ख) कम से कम दो वर्षों तक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन न रहा हो; और कम से कम पांच वर्षों तक महिलाओं के हित से जुड़ा न रहा हो।

(2) कोई व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,—

(क) न्यायिक मजिस्ट्रेट न हो अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न रहा हो; अथवा 15

(ख) कम से कम पांच वर्षों से वकालत करता न रहा हो तथा कम से कम पांच वर्षों तक महिलाओं के हित से जुड़ा न रहा हो।

(3) संघ राज्यक्षेत्र में किसी विशेष न्यायालय के प्रत्येक प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

(4) किसी राज्य में विशेष न्यायालय के प्रत्येक प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। 20

(5) विशेष न्यायालय के प्रत्येक अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी।

(6) विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों की कुल संख्या में से कम से कम आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

कतिपय परिस्थितियों में वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा या उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा।

5. (1) किसी विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारण से उसके पद के रिक्त होने की दशा में, उस न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश तब तक प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य करता रहेगा, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया कोई नया प्रधान न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण न कर ले। 25

(2) यदि किसी कारणवश प्रधान न्यायाधीश अपनी ड्यूटी से अनुपस्थिति के कारण अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो उस विशेष न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश तब तक प्रधान न्यायाधीश के कृत्यों का निर्वहन करता रहेगा, जब तक कि प्रधान न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से संभाल न ले। 30

पदावधि।

6. प्रत्येक प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश उस तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए पदासीन होंगे जिस तारीख से वह कार्यभार ग्रहण करते/करती हैं, अथवा जब तक वह,—

(क) प्रधान न्यायाधीश के मामले में पैसठ वर्ष की आयु पूरी न कर ले, और 35

(ख) किसी अन्य न्यायाधीश के मामले में, साठ वर्ष की आयु पूरी न कर ले, जो भी पहले हो।

7. प्रत्येक प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, यथास्थिति, यदि वह किसी संघ राज्यक्षेत्र के विशेष न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीश है, तो राष्ट्रपति को संबोधित अथवा यदि वह किसी राज्य के विशेष न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीश है, तो राज्यपाल को संबोधित अपना हस्ताक्षरयुक्त लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा:

त्यागपत्र।

5 परन्तु प्रधान न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, जब तक उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल, यथास्थिति, द्वारा पद शीघ्र त्यागने की अनुमति नहीं दे दी जाती, अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन माह की समाप्ति न हो जाए अथवा जब तक उनके उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत् नियुक्त कोई व्यक्ति अपना कार्यभार ग्रहण न कर ले अथवा जब तक उनकी पदावधि का अवसान न हो जाए, जो भी सबसे पहले हो।

10 8. विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश को संदेय वेतन और भत्ते तथा पेंशन उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें उस प्रकार के होंगे जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं:

प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें।

15 परन्तु किसी विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश के न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के बाद, कोई अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।

9. प्रत्येक प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय के संबंध में ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे यथा विहित रीति से प्रदत्त की जाएं।

प्रधान न्यायाधीश की वित्तीय एवं अन्य शक्तियां।

10. समुचित सरकार अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के ऐसे प्रवर्गों को निर्धारित करेगी और उपलब्ध कराएगी जो विशेष न्यायालय के लिए अपने कृत्यों का निर्वहन करने हेतु अपेक्षित हों।

विशेष न्यायालय के कर्मचारिवृंद।

1860 का 45

20 11. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक विशेष न्यायालय भारतीय दंड संहिता, 1860 अथवा महिलाओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों अथवा अत्याचारों के सभी मामलों के संबंध में, संबंधित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, सभी न्यायालयों द्वारा उस दिन से तत्काल पूर्व प्रयोक्तव्य समस्त अधिकारिता शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

विशेष न्यायालयों की अधिकारिता शक्ति और प्राधिकार।

1908 का 5
1974 का 2

25 12. इस अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक विशेष न्यायालय को कोई जांच करने की वैसी ही शक्तियां प्राप्त होंगी जैसी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन दंड न्यायालय में निहित हैं।

विशेष न्यायालयों की शक्तियां।

30 13. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को, महिलाओं के विरुद्ध किए गए किन्हीं अपराधों या अत्याचारों के संबंध में अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार विशेष न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होंगे और संबंधित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर कोई भी अन्य न्यायालय महिलाओं के विरुद्ध किए गए ऐसे अपराधों या अत्याचारों के संबंध में किसी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा अथवा इन्हें प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

संबंधित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर विशेष न्यायालय के मामलों की अधिकारिता का अपवर्जन।

35 14. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तुरंत पहले किसी अन्य न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष लंबित ऐसा प्रत्येक वाद या अन्य कार्यवाही जो ऐसा वाद या कार्यवाही है जो ऐसे वाद हेतुक पर आधारित है जो इस प्रकार का है कि यदि यह ऐसे गठन के पश्चात् उद्भूत हुआ होता तो ऐसे विशेष न्यायालय की अधिकारिता के भीतर होता जो उस तारीख को ऐसे विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएगी:

लंबित मामलों का अंतरण।

परन्तु इस धारा में निहित कोई भी बात किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में लंबित किसी वाद या अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

महिलाओं को निःशुल्क
विधिक सहायता।

15. समुचित सरकार विशेष न्यायालयों में मुकदमे की लागत की पूर्ति करने के लिए महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए आवश्यक प्रबंध एवं उपबंध करेगी।

विशेष न्यायालयों द्वारा
मामलों का निपटन।

16. विशेष न्यायालय में प्रत्येक मामले पर दैनिक आधार पर सुनवाई होगी और शीघ्रतम समय में निपटया जाएगा किन्तु हर हालत में न्यायालय में वाद दायर करने की तारीख से छह महीने तक ही।

नियम बनाने की शक्ति।

17. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। 5

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारे समाज में महिलाओं पर दिन-प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं पर अत्याचार संबंधी ऐसे मामले न्यायालय में इकट्ठे होते जा रहे हैं। इन मामलों को निपटाने में न्यायालयों द्वारा हो रहे विलंब से अभागी महिलाओं के कष्ट और बढ़ जाते हैं। जब तक न्यायालयों का निर्णय आता है, तब तक महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाती है। साधारण न्यायालय मामलों पर फैसला देने में अनावश्यक रूप से काफी समय लगाते हैं। अतः, महिलाओं के विरुद्ध मामलों के त्वरित निपटान के लिए अनन्य रूप से उनके लिए विशेष न्यायालयों का गठन प्रस्तावित है।

विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करना है।

नई दिल्ली;

31 जनवरी, 2018

11 माघ, 1939 (शक)

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन महिलाओं पर किए गए अत्याचारों से उद्भूत मामलों से अनन्य रूप से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में विशेष न्यायालय गठित करेंगे। खंड 8 प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को वेतन और भत्तों के भुगतान का उपबंध करता है। खंड 10 विशेष न्यायालयों के लिए आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा व्यवस्था का उपबंध करता है। खंड 15 महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का उपबंध करता है तथा राज्यों में स्थित विशेष न्यायालयों के मामले में व्यय की पूर्ति संबंधित राज्यों की संचित निधियों से की जाएगी। संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विशेष न्यायालयों के मामले में व्यय की पूर्ति भारत की संचित निधि से की जाएगी। अनुमान है कि विशेष न्यायालयों के गठन के लिए प्रतिवर्ष संघ राज्यक्षेत्रों के लिए तथा राज्यों के लिए अनुदान द्वारा, एक हजार करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त होगी।

इसमें लगभग दो सौ करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय भी अंतर्ग्रस्त होने की संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 17 केन्द्रीय सरकार को विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरों के मामलों से संबंधित होंगे, अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

लोक सभा

महिलाओं के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने और तत्संस्कृत तथा
उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

(डॉ० उदित राज, संसद सदस्य)